ई समाचार पत्र

राष्ट्र महिला

राष्ट्रीय महिला आयोग

खण्ड 1, संख्या 233, अप्रैल–मई, 2019

मुख्य लेख– पूरी दिल्ली में महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठों का औचक निरीक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2008–2009 में दिल्ली पुलिस (एसपीयूडब्ल्यूएसी) के सहयोग और टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई की तकनीकी सहायता से ''हिंसा मुक्त गृह–महिलाओं का अधिकार'' (महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ) एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की थी। नई दिल्ली में नानकपुरा और पीतमपुरा में विशेष प्रकोष्ठ के साथ इसे आरंभ किया गया था। महिलाओं और बालकों के लिए विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और महिलाओं के विरूद्ध प्रकोष्ठों (सीएडब्ल्यू) में सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- पीड़ित महिलाओं का आत्मभिमान, आत्मसम्मान और गरिमा का पुनर्निर्माण:
- तुरंत हस्तक्षेप– चिकित्सा, मनःचिकित्सा सेवाओं, पुलिस सहायता, परामर्श, सुकर बनाने के लिए रेफर करना
    - संस्थानों में नौकरी दिलाना
    - विधिक सहायता उपलब्ध कराना
- पुलिस और महिलाओं एवं बालकों के संगठनों के बीच संपर्क

यह परियोजना पीड़ित महिलाओं को बेहतर मानसिक विधिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के नियोजन के दृष्टिकोण पर आधारित है। यह परियोजना दिल्ली के 14 जिलों और मुख्यालय में आरंभ की गई है। आयोग, सीएडब्ल्यू के लिए इन विशेष प्रकोष्ठों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

मई, 2019 मास के दौरान आयोग के सदस्यों ने, दिल्ली में विभिन्न सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठों की कार्यपद्धति की जांच करने के लिए, दौरा किया। यह एक आकस्मिक दौरा था जिसमें दल ने क्रमशः प्रकोष्ठ के भारसाधक निरीक्षक और प्रकोष्ठ में मौजूद परामर्शदाताओं से मुलाकात की। कुछ प्रकोष्ठों में सदस्य ने उन पीड़ितों से भी मिले जो अपनी शिकायत पंजीकृत कराने के लिए प्रकोष्ठ आए हुए थे। प्रकोष्ठों की कार्यप्रणाली का निर्धारण करने के लिए सीएडब्ल्यू कर्मचारियों को सुसंगत जानकारी एकत्रित करने के लिए एक प्रोफार्मा दिया गया था। सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठों के निरीक्षण की तारीख और जिन सदस्यों ने निरीक्षण किया था उनके नाम नीचे दिए गए हैं:

सफल महिलाएं

पूर्व भारतीय क्रिकेटर जी.एस. लक्ष्मी पहली आईसीसी मैच रैफरी बनी।

देश की पहली सभी महिलाओं के दल ने मई, 2019 में एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर एमआई 17वी 5में उड़ान भरी। फ्लाइट ले. पारूल भारद्वाज (कैप्टन), फ्लाइट ले. हिना जासवाल ने चॉपर को उड़ाया।

भावना कंठ पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। उनहोंने मई, 2019 में काम्बट मिशन के लिए आपरेशनल पाठ्यक्रम पूरा किया। वह भारतीय वायु सेना के महिला फाइटर पायलटों के उस पहले बैच से हें जिन्होंने जुलाई, 2016 में वायुसेना में ग्रहण किया था।

जैवविज्ञानी गगनदीप कांग ने इतिहास रचा और फेलो रायल सोसाइटी ब्रिटेन मेन और ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक अकादमी में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला है।

क्र. सं.	सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठ का अवस्थान	निरीक्षण की तारीख	सदस्य का नाम
1.	मालवीय नगर	1 मई, 2019	श्रीमती सोसो साइजा
2.	मंदिर मार्ग	2 मई, 2019	श्रीमती सोसो साइजा
3.	गाजीपुर	2 मई, 2019	श्रीमती सोसो साइजा
4.	सीमापुरी	2 मई, 2019	श्रीमती कमलेश गौतम
5.	पीतमपुरा	3 मई, 2019	श्रीमती कमलेश गौतम
6.	दिल्ली कैंट	6 मई, 2019	श्रीमती कमलेश गौतम
7.	साकेत	6 मई, 2019	श्रीमती राजुलबेन एल. देसाई
8.	रोहिणी	7 मई, 2019	श्रीमती राजुलबेन एल. देसाई
9.	रानी बाग	7 मई, 2019	श्रीमती राजुलबेन एल. देसाई
10.	कमला मार्केट	8 मई, 2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
11.	नंद नगरी	9 मई, 2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
12.	सब्जी मंडी	9 मई, 2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
13.	श्रीनिवासपुरी	9 मई, 2019	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर
14.	द्वारका	10 मई, 2019	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर
15.	कीर्ति नगर	10 मई, 2019	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर

''घर पर रूकने के पर्यटन'' के संबंध में राज्य महिला आयोगों के साथ पारस्परिक संवाद बैठक

आयोग ने अपने सम्मेलन कक्ष में तारीख 10 अप्रैल, 2019 को राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और सचिवों/प्रतिनिधियों तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर के पर्यटन विभाग के साथ एक दिन की पारस्परिक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने की। इस बैठक को राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच तालमेल बढ़ाने और कार्यक्रम को आगे अग्रसर करने के लिए समन्वय को सुकर बनाने के लिए आयोजित किया गया था। यह पारस्परिक संवाद सत्र राष्ट्रीय

महिला आयोग के उस पहल के अनुक्रम में था जिसके द्वारा महिलाओं को उपजीविका प्रदान करने के लिए उन्हें पर्यटन और आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम एआईआरबीएनबी के सहयोग से वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था और प्रारंभ में इसे मेघालय, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और गुजरात में आरंभ किया गया।

बैठक में राज्य महिला आयोगों और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच परस्पर सहयोग के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व एक पूर्वापेक्षा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यशाला से डिजीटल समावेशन में बढ़ोत्तरी होगी जिसकी वजह से महिलाओं की अगुवाई में पर्यटन और आतिथ्य सत्कार उद्यम सृजित होगा और सूक्ष्म–उद्यमी बनने में प्रशिक्षुओं का एक मंच प्रदान किया जा सकेगा। श्रीमती रेखा शर्मा ने यह जानकारी दी कि इन प्रत्येक राज्यों में इन कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए अवस्थानों की पहचान करना होगी और राज्य महिला आयोगों से यह अनुरोध किया कि कार्यशालाओं के लिए बड़ी संख्या में इनमें भाग लेने वालों को लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें।

मनोरोग गृह का निरीक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(ट) के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने अप्रैल और मई, 2019 में देश के नौ मनोरोग गृहों का निरीक्षण, पहले तैयार किए गए निरीक्षण फार्मेट का उपयोग करके, किया। आयोग नियमित रूप से जेलों, रिमांड गृहों, महिलाओं के संस्थानों या अभिरक्षा के अन्य स्थानों, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, का निरीक्षण करता है और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक पाया जाए, संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाता है।

क्रमशः राज्य महिला आयोगों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ आयोग के जिन सदस्यों ने निरीक्षण किया था और निरीक्षण की तारीख के साथ मनोरोग गृहों के ब्यौरें नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	मनोरोग गृह का नाम	निरीक्षण की तारीख	सदस्य का नाम
1.	हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ, अहमदाबाद	9 मई, 2019	श्रीमती सोसो साइजा
2.	हिमाचल हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन, शिमला	13 मई, 2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
3.	स्टेट मेंटल हेल्थ इंस्टिट्यूट, देहरादून	13 मई, 2019	श्रीमती सोसो साइजा
4.	इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ, कोइलवर, भोजपुर	16 मई, 2019	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर
5.	गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ सेंटर, थ्रिस्सुर	17 मई, 2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
6.	गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर, विशाखापट्नम	17 मई, 2019	डा. राजुलबेन एल. देसाई
7.	स्टेट मेंटल हेल्थ इंस्टिट्यूट, कोहिमा	17 मई, 2019	श्रीमती कमलेश गौतम
8.	हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ, वडोदरा	18 मई, 2019	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर
9.	मेंटल हॉस्पिटल जोधपुर	21 मई, 2019	श्रीमती कमलेश गौतम

मनोरोग गृह के निरीक्षणों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

- सफलतापूर्वक उपचारित महिलाओं का पुनर्वास बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें परिवार/संबंधियों ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। यह सिफारिश की गई कि उपचारित/आंशिक रूप से उपचारित महिला रोगियों के लिए हाफ–वे होम स्थापित किए जाए जिससे उन्हें अपने परिवारों के साथ या लगभग सामान्य स्थिति में उपचार प्राप्त करने में सहायता मिलसके।
- कुछ मनोरोग गृहों में महिला रोगियों को व्यक्तिगत स्वच्छता की मौलिक मदों जैसे कि टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, कंघा आदि नहीं दिए जाते हैं।
- रोगियों के आने जाने की निगरानी करने के लिए उचित लाइटिंग और सीसीटीवी लगाने के संबंध में सदस्यों ने अपने दौरे के दौरान यह बात फिर से दोहराई।
- मानसिक स्वास्थ्य संसाधन, भोजपुर, बिहार में मानसिक रोग से ग्रस्त महिलाओं के मामलों को उपयुक्त स्थान पर भेजने की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टली हेंडीकेप्ड, सिकंदराबाद से परामर्श किया जा सकता है।
- कुछ मनोरोग गृह कर्मचारी अपर्याप्त थे। कुछ मनोरोग गृहों में आहार विशेषज्ञ का पद नहीं है। यह सिफारिश की गई कि तुरंत पदों को भरा जाएं।
- आम जनता के मन से मानसिक बीमारी से जुड़ें हुए डर और कलंक को निकालने के लिए उन्हें संवेदीग्राही बनाने की आवश्यकता है जिससे कि उपचारित किए गए रोगियों को उनका परिवार स्वीकार कर सके, क्योंकि सफलतापूर्वक उपचार हो जाने के पश्चात् भी महिला रोगियों के परिवार उन्हें वापस ले जाने के लिए हिचकिचाते हैं।

अप्रैल–मई, 2019 में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त शिकायतें और समाधान की गई शिकायतें

मास	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें (पुरानी + नई)
अप्रैल, 2019	68	11
मई, 2019	69	10

अप्रैल–मई, 2019 में शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतें और समाधान की गई शिकायतें

मास	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें (पुरानी + नई)
अप्रैल, 2019	1106	746
मई, 2019	1717	705

प्राप्त हुई शिकायतें और अप्रैल–मई 2019 के बीच स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ द्वारा सुलझाई गई शिकायतें

क्र. सं.	मास	कार्रवाई किए गए मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई रिपोर्टों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त हो गए है	बंद किए गए मामलों की संख्या
1.	अप्रैल, 2019	13	23	17
2.	मई, 2019	18	26	27

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 8 मई, 2019 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ''दलित महिला का सामूहिक बलात्कार, वीडियो वायरल किया गया'' शीर्षक नामक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया था कि एक दलित महिला अपने पति के साथ जा रही थी तब पांच पुरूषों ने उनका रास्ता रोका और उसके पति की पिटाई करने के पश्चात् महिला के साथ बारी–बारी बलात्संग किया तथा अभियुक्तों ने इसका कृत्य का वीडियों बनाया जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आयोग ने इस मामले की जांच करने के लिए 2 सदस्यीय तथ्य पता लगाने वाले दल का गठन किया। इसके प्रत्युत्तर में दल को दौरे के दौरान सहायक अधीक्षक, पुलिस, अलवर से इस मामले में एक ब्यौरेवार की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

कार्यक्रमों में भाग लिया गया:

अध्यक्ष, श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा

- श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने तारीख 25 अप्रैल, 2019 को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में ''लिंग समानता और 21वीं सदी में न्याय: संभावनाएं और चुनौतियां'' के संबंध में पैनल विचार–विमर्श की अध्यक्षता की।

सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव द्वारा

- तारीख 5 अप्रैल, 2019 को विशिष्ट अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

सदस्य, सोसो साइजा द्वारा

- तारीख 16 मई, 2019 को प्रसारण विषय वस्तु शिकायत परिषद बीसीसीसी द्वारा आहूत बैठक में भाग लिया।
- तारीख 3 मई, 2019 को ऑस्कर अवॉर्ड विनिंग डाक्यूमेंट्री अमेरिकन सेंटर, दिल्ली में एक पैनल विचार–विमर्श में भाग लिया।

डॉ. राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य द्वारा

- तारीख 26 मई, 2019 को कुरूक्षेत्र में समस्त रायबाड़ी समाज द्वारा आयोजित ''सम्मेलन एवं सम्मान समारोह'' में भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, **जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया,** नई दिल्ली– 110025 द्वारा प्रकाशित।
डायल: 011-26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809
डॉलफिन प्रिंटा–ग्राफिक्स, 1ई/18, चौथा तल, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 #011-23593541-42.